

सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो द्वारा कैलेण्डर वर्ष 2017 में सम्पादित कार्यों का संक्षिप्त विवरण।

सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो की स्थापना विभिन्न प्रशासकीय विभागों एवं उनके नियन्त्रणाधीन स्थापित सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के मध्य एक विशेषज्ञ परामर्शी विभाग के रूप में की गयी है। ब्यूरो द्वारा प्रदेश के विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के सम्बन्ध में उनके प्रशासकीय विभागों से प्राप्त प्रबन्धकीय, कार्मिक एवं अन्य नीति विषयक प्रकरणों पर परामर्श दिये जाने का कार्य किया जाता है:-

1. सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों में महंगाई भत्ता दिये जाने के प्रकरणों पर सार्वजनिक उद्यम विभाग स्तर पर गठित समिति द्वारा निगमों से प्राप्त प्रस्तावों पर बैठकें कराकर निर्णय लिये गये।
2. सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के अवशेष लेखों को सर्वोच्च प्राथमिकता पर पूर्ण कराने हेतु प्रभावी अनुश्रवण किया गया।
3. सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों से सम्बन्धित कार्मिक, वित्तीय एवं विधिक प्रकरणों पर निगमों के प्रशासकीय विभाग से प्राप्त पत्रावलियों पर शासन को विशेषज्ञ परामर्श प्रदान किया गया।
4. सार्वजनिक उद्यम विभाग के स्तर पर गठित चयन समिति द्वारा विभिन्न निगमों/उपक्रमों के उच्च अधिकारियों एवं अन्य अधिकारियों के चयन की कार्यवाही करायी गयी।
5. सार्वजनिक उपक्रमों की आहत संचालक मण्डल की बैठकों में अधिकारियों द्वारा भाग लेकर विभागीय नीतियों/शासनादेशों को दृढ़तापूर्वक प्रतिपादित किया गया।
6. सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो द्वारा कार्यरत 40 उपक्रमों/निगमों की वित्तीय स्थिति एवं कार्य चालन परिणाम के आधार पर फ्लैश रिजल्ट्स का संकलन तथा उक्त सूचना का विश्लेषण एवं संहतीकरण कर इसके आधार पर संहत वित्तीय स्थिति बनायी गयी।
7. सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के कार्यकलापों की त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट के आधार पर समीक्षा व अनुश्रवण किया गया।
8. सूचना के अधिकार से सम्बन्धित प्रकरणों में सूचना उपलब्ध करायी गयी।
9. सार्वजनिक उद्यम विभाग के अधीन आडिट प्रकोष्ठ (वाणिज्यिक) स्थापित है। विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम/निगम की संयुक्त समिति की बैठकें आयोजित कराकर निगमों/उपक्रमों के लम्बित आडिट प्रस्तारों का निस्तारण कराया गया।

